संसदीय कार्य मंत्रालय

प्रेस प्रकाशनी

1. संसद का शीतकालीन सत्र, 2025, जो सोमवार, 01 दिसंबर, 2025 से आरंभ हुआ था, शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के दौरान 19 दिनों की अवधि में 15 बैठकें हुईं।

2. सत्र के दौरान, लोक सभा में 10 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 08 विधेयक पारित किए और राज्य सभा द्वारा भी 08 विधेयक पारित किए गए तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 08 विधेयक पारित किए गए।

3. राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" की 150वीं वर्षगांठ पर 8 दिसंबर को लोक सभा में तथा 9, 10 और 11 दिसंबर 2025 को राज्य सभा में विशेष चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री ने लोक सभा में चर्चा की शुरुआत की। लोक सभा में यह चर्चा 11 घंटे 32 मिनट तक चली, जिसमें 65 सदस्यों ने भाग लिया। राज्य सभा में चर्चा की शुरूआत माननीय गृह मंत्री ने की। राज्य सभा में यह चर्चा कुल 12 घंटे 49 मिनट तक चली, जिसमें 81 सदस्यों ने भाग लिया और राज्य सभा में सदन के नेता के भाषण के साथ चर्चा का समापन हुआ।

4. इसके अलावा, 9 और 10 दिसंबर को लोक सभा में तथा 11, 15 और 16 दिसंबर 2025 को राज्य सभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। माननीय गृह मंत्री ने लोक सभा में चर्चा का समापन किया। लोक सभा में यह चर्चा 12 घंटे 59 मिनट तक चली, जिसमें 62 सदस्यों ने भाग लिया। राज्य सभा में, सदन के नेता (राज्य सभा) ने चर्चा का समापन किया। राज्य सभा में यह चर्चा 10 घंटे 37 मिनट तक चली, जिसमें 57 सदस्यों ने भाग लिया।

5. वर्ष 2025-26 की अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच पर चर्चा की गई और पूर्ण रूप से मतदान किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक को दिनांक 15.12.2025 को लोक सभा में पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया तथा राज्य सभा ने इसे दिनांक 16.12.2025 को लौटा दिया।

6. राष्ट्रपति द्वारा मॉनसून सत्र 2025 के बाद प्रख्यापित किए गए अध्यादेश, अर्थात मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का संख्यांक 2) को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक पर सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में विचार किया गया और पारित किया गया।

7. मणिपुर राज्य में “जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024” को अपनाने संबंधी सांविधिक संकल्प को राज्य सभा में दिनांक 03.12.2025 को स्वीकृत किया गया।

8. लोक सभा में पुरःस्थापन के पश्चात विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 को संसद के सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया।

9. इस सत्र के दौरान, संसद के दोनों सदनों ने 08 विधेयक पारित किए गए हैं, जिनमें से कुछ के "विकसित भारत" के लक्ष्यों को हासिल करने के संबंध में दूरगामी परिणाम होंगे। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने और बताए गए सामान के निर्माण या उत्पादन हेतु लगाई गई मशीनों या किए गए अन्य गतिविधियों पर इन उद्देश्यों के लिए उप-कर लगाने और इससे जुड़े मामलों के लिए है।

(ii) भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025 का उद्देश्य भारत के लोगों के कल्याण के लिए न्यूक्लियर पावर जनरेशन, हेल्थकेयर, भोजन, पानी, कृषि, उद्योग, रिसर्च, पर्यावरण में इस्तेमाल, न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए न्यूक्लियर एनर्जी और आयनाइजिंग रेडिएशन को बढ़ावा देना और विकसित करना है, और इसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का निर्माण करना और इससे जुड़े मामलों का प्रावधान करना है।

(iii) विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत–जी राम जी) विधेयक, 2025 में विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय विज़न के साथ जुड़े ग्रामीण विकास फ्रेमवर्क की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य बिना स्किल्ड मैनुअल काम करने के लिए तैयार हैं, हर वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी दी जाएगी; ताकि समृद्ध और मज़बूत ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और पूर्ण कवरेज को बढ़ावा दिया जा सके; और इससे जुड़े मामलों का उपबंध करना।

10. लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयकों, लोक सभा/राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

11. लोक सभा की उत्पादकता लगभग 111% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 121% रही।

***

अनुबंध

18वीं लोक सभा के छठे सत्र तथा राज्य सभा के 269वें सत्र के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I. **लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक**

1. मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025
2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
3. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
4. निरसन और संशोधन विधेयक, 2025
5. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025
6. भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन एवं अभिवर्धन विधेयक, 2025
7. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2025
8. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025
9. विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025
10. प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025

II. **दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक**

1. विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

III. **लोक सभा की विभागीय स्थायी समिति को भेजा जाने वाला विधेयक**

1. प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025

IV. **लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक**

1. मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025
2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
3. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
4. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2025
5. निरसन और संशोधन विधेयक, 2025
6. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025
7. भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन एवं अभिवर्धन विधेयक, 2025
8. विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025

V. **राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक**

1. मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025
2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
3. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
4. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2025
5. निरसन और संशोधन विधेयक, 2025
6. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025
7. भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन एवं अभिवर्धन विधेयक, 2025
8. विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025

VI. **संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक**

1. मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025
2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
3. स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
4. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2025
5. निरसन और संशोधन विधेयक, 2025
6. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025
7. भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन एवं अभिवर्धन विधेयक, 2025
8. विकसित भारत–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) विधेयक, 2025

****